

प्रमुख मार्गों की रात्रिकालीन सफाई हेतु दरोगा एवं कर्मचारी नियुक्त रात्री 11 से प्रातः 7 बजे तक होगी सफाई

रतलाम 17 अक्टूबर । नगर की सफाई व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नवीन व्यवस्था के तहत शहर के प्रमुख मार्गों की रात्री 11 से प्रातः 7 बजे तक सफाई कार्य हेतु दलो का गठन कर्मचारियों को नियुक्त किया है।

शहर के प्रमुख मार्गों की रात्री 11 से प्रातः 7 बजे तक सफाई कार्य व्यवस्था के तहत अम्बेडकर प्रतिमा से मांटेसरी फोरलेन होते हुए फव्वारा चौक तक दांये व बाईं ओर की सफाई हेतु श्री शरद खरे, रेलवे अण्डर ब्रीज से फव्वारा चौक, महु रोड बस स्टैण्ड होते हुए न्यू कलेक्टर फ्लाई ओवर ब्रीज तक दांई व बाईं ओर की सफाई हेतु श्री संजय डिंडोरे, कलेक्टर फ्लाई ओवर ब्रीज से सालाखेड़ी चौराहे तक दांई व बाईं ओर की सफाई हेतु श्री देवीलाल शंकर, सैलाना बस स्टैण्ड चौराहे से दो बत्ती डाट की पुल, न्यू रोड, लोकेन्द्र टॉकिज चौराहे से शहीद चौक दांई व बाईं ओर की सफाई हेतु नवीन मेहना, दो बत्ती चौराहे से स्टेट बैंक कानवेंट स्कूल तिराहा तक दांई व बाईं ओर की सफाई हेतु श्री नवीन मेहना, बाजना बस स्टैण्ड चौराहे से खेडापति हनुमानजी मंदिर तक दांई व बाईं ओर की सफाई हेतु श्री राजेश मेहना, स्टेशन रोड दिलबहार चौराहा होते हुए महाराजा सज्जनसिंह जी की प्रतिमा तक दांई व बाईं ओर की सफाई हेतु श्री रामलाल नुरा व महाराणा प्रताप चौराहे से आरो आश्रम सैलाना रोड तक दांई व बाईं ओर की सफाई हेतु श्री अर्जून गौसर को दल प्रभारी नियुक्त किया है। प्रत्येक दल में दांई ओर बाईं ओर सफाई कार्य हेतु पृथक-पृथक कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है।

खुले में कचरा फेंकने वालों पर निगरानी हेतु कर्मचारी नियुक्त सीसीटीवी से कचरा फेंकने वालों पर रखी जायेगी निगरानी

रतलाम 16 अक्टूबर । खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर रोक लगाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कर्मचारियों को नियुक्त किया है जो पुलिस कन्ट्रोल रूम में पृथक-पृथक शिफ्टों में उपस्थित रहकर सी.सी.टी.वी. (कन्ट्रोल रूम) से कचरा फेंकने वालों पर निगरानी रखेंगे।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने कचरा फेंकने वालों पर निगरानी हेतु श्री प्रदीप त्रिवेदी सहायक वर्ग-2 को प्रातः 6 से दोपहर 3 बजे तक व श्री राजेन्द्र शर्मा सहायक राजस्व निरीक्षक को दोपहर 3 से रात्रि 12 बजे तक नियुक्त किया है। नियुक्त कर्मचारी कचरा फेंकने वाले नागरिक, दुकानदार की जानकारी ज्ञान प्रभारी, स्पॉट फाईन टीम व वार्ड प्रभारी को तत्काल देंगे।

महाराणा प्रताप चौक से आरो आश्रम तक की सफाई हेतु कर्मचारी नियुक्त

रतलाम 16 अक्टूबर । महाराणा प्रताप चौराहे से आरो आश्रम सैलाना रोड की नियमित रूप से सफाई कार्य हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दो शिफ्टों में 4-4 कर्मचारियों को नियुक्त किया है।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार शंकर-पुनालाल, श्याम-प्रकाश, जितेन्द्र-प्रकाश व जितेन्द्र बलराम दांय सड़क व नरेन्द्र-नवीन, महेन्द्र-राजेन्द्र, भुपेन्द्र-मुकेश व सुमनलाल-रतन बाईं ओर पृथक-पृथक शिफ्टों में सफाई का कार्य वार्ड प्रभारी अर्जून गौसर के नियंत्रण में संपादित करेंगे।

लापरवाही बरतने पर दिनेश बोयत व कुलदीप भट्ट का 15 दिवस का वेतन काटा

रतलाम 17 अक्टूबर । सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान वार्ड क्रमांक 31 में जगह-जगह गंदगी के ढेर एवं कचरा फैला पाये जाने तथा जावरा रोड मुख्य मार्ग पर कचरे की ट्रॉली कचरे भरी पाये जाने पर वार्ड प्रभारी दिनेश बोयत व राशन कार्ड शाखा के स्थायीकर्मि कुलदीप भट्ट द्वारा सीएम हेल्प लाईन कार्य में लापरवाही बरतने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दोनो कर्मचारियों का माह अक्टूबर का 15 दिवस का वेतन काटकर कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 24 घन्टे में स्पष्टीकरण चाहा है।

जयकिशन-मदन सेवा से बर्खास्त

रतलाम 17 अक्टूबर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने झोन क्रमांक 2 के कर्मचारी जयकिशन-मदन द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से बिना सूचना के चार माह से अनुपस्थित रहने पर सेवा से बर्खास्त किया।

17 अक्टूबर को 83 टन से ज्यादा कचरा जुलवानिया पंहुचा

रतलाम 17 अक्टूबर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 17 अक्टूबर रविवार को 83 टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

17 अक्टूबर रविवार को डम्पर स 34655, ट्रेक्टर से 4460, काम्पेक्टर सूखा कचरा 19165, गीला कचरा 24770 किलो इस तरह कुल 83050 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

पेंशन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें वार्डवार केन्द्रों व घर-घर जाकर किया जा रहा है सत्यापन

रतलाम 17 अक्टूबर । रतलाम शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर व वार्डवार बनाये गये केन्द्रों पर किया जा रहा है।

नगर निगम द्वारा पेंशन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों को आवश्यक दस्तावेज बीपीएल राशन कार्ड, समग्र आईडी, बैंक खाते की पास बुक, निवासी, जन्म, आयु, चिकित्सक, निःशक्तता, आयकर दाता ना हो, पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र, अंक सूची, मतदाता सूची, मतदाता परिचय-पत्र, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जारी जाब कार्ड, उपलब्ध कराकर या वार्डवार बनाये केन्द्र वार्ड 1 अम्बेडकर मांगलिक भवन गांधी नगर, वार्ड 2 रामकला सभागृह लक्ष्मणपुरा, वार्ड 3 राठौड़ समाज धर्मशाला, वार्ड 4 महर्षी दयानन्द वैदिक विद्यालय, वार्ड 5 गुरु रामदास स्कूल विनोबा नगर, वार्ड 6 मार्निंग स्टार स्कूल इंदिरा नगर, वार्ड 7 अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, वार्ड 8 संतनामदेव पब्लिक स्कूल विनोबा नगर, वार्ड 9 साईं ऐकेडमी स्कूल 80 फीट रोड, वार्ड 10

सिंधी गुरुद्वारा मोहन नगर, वार्ड 11 बोधी स्कूल डोंगरे नगर, वार्ड 12 सुमंगल गार्डन कस्तुरबा नगर, वार्ड 13 अम्बेडकर कम्युनिटी हॉल जवाहर नगर, वार्ड 14 सरस्वती स्कूल काटजू नगर, वार्ड 15 मांगलिक भवन सुभाष नगर, वार्ड 16 काश्यप सभागृह सागोद रोड, वार्ड 17 उत्कृष्ट स्कूल सागोद रोड, वार्ड 18 शांति निकेतन टाटा नगर, वार्ड 19 राधाकृष्ण प्राथमिक विद्यालय दीनदयाल नगर, वार्ड 20 सरस्वती स्कूल अमृत सागर, वार्ड 21 नरसिंह वाटिका सिलावटो का वास, वार्ड 22 मानस भवन मोती नगर, वार्ड 23 ज्योति कान्वेंट स्कूल बाजाली नगर, वार्ड 24 सब्जी फिरोस जमातखाना सायर चबुतरा, वार्ड 25 सगरवंशी माली समाज धर्मशाला, वार्ड 26 संतमीरा स्कूल थावरिया बाजार, वार्ड 27 जमातखाना शैरानीपुरा, वार्ड 28 मांगलिक भवन दिलीप नगर, वार्ड 29 डीआरपी लाईन आनन्द कालोनी, वार्ड 30 काजीखान की मस्जिद जावरा रोड, वार्ड 31 शासकीय प्राथमिक स्कूल डोसीगांव, वार्ड 32 उजाला पैलेस स्टेशन रोड, वार्ड 33 लायंस हॉल पावर हाउस रोड, वार्ड 34 रोटरी हॉल अजंता टॉकिज रोड, वार्ड 35 मेंहदीकुई बालाजी नगर निगम, वार्ड 36 कान्वेंट स्कूल मित्र निवास रोड, वार्ड 37 लॉ कॉलेज आनन्द कालोनी, वार्ड 38 जमातखाना शैरानीपुरा, वार्ड 39 शासकीय प्राथमिक स्कूल शैरानीपुरा, वार्ड 40 श्रीमाली धर्मशाला, वार्ड 41 मोहन टॉकिज, वार्ड 42 माहेश्वरी धर्मशाला कसारा बाजार, वार्ड 43 गणेश मांगलिक भवन रामबाग, वार्ड 44 बोहरा कम्युनिटी हॉल बोहरा बाखल, वार्ड 45 शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल माणक चौक, वार्ड 46 आईएमए हॉल राजेन्द्र नगर, वार्ड 47 मदरसा तालीमुल कुरआन नयापुरा हाट रोड, वार्ड 48 सूरजहॉल वेदव्यास कालोनी, वार्ड 49 सिखवाल धर्मशाला ब्राम्हणों का वास तथा नगर निगम के आईटी सेल में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

नगर निगम द्वारा अब तक 7548 आयुष्मान कार्ड बनाये गये

*नगर निगम के आईटी सेल में 16 दिनों में 176 हितग्राही के बनाये आयुष्मान कार्ड
निगम के आईटी सेल में हितग्राही बनवायें आयुष्मान कार्ड*

रतलाम 17 अक्टूबर। आयुष्मान भारत "निरामयम" योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियों के निःशुल्क बनाने का कार्य नगर निगम के आईटी सेल कार्यालय में कार्यालयीन समय में बनाये जा रहे हैं जिसके तहत 1 से 16 अक्टूबर तक 176 हितग्राहियों के कार्य बनाये जा चुके हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि गरीब एवं असहाय परिवारों पर बीमारियों पर खर्च होने वाले आर्थिक बोझ एवं गुणवत्तापूर्वक इलाज समय पर उपलब्ध कराये जाने हेतु आयुष्मान भारत "निरामयम" योजना के तहत नगर के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड नगर निगम के विकास शाखा स्थित आईटी सेल में बनाये जा रहे हैं। नगर निगम विकास शाखा स्थित आईटी सेल में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा 16 अक्टूबर को 6 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये इस तरह 1 से 16 अक्टूबर तक 176 हितग्राहियों के कार्य बनाये जा चुके हैं। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों व उचित मूल्य की दुकानों पर 7316 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 7548 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया है कि रतलाम नगर के शेष रहे हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाये जाना है। पात्र हितग्राहियों और उनके परिवार सदस्यों का पंजीयन किये जाने हेतु आधार कार्ड व समग्र आईडी दस्तावेज के रूप में लिये जावें।

**1641 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए
स्वरोजगार ऋण से 30 हितग्राही हुए लाभान्वित**

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 11 अक्टूबर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं ।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 1597 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/- तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 44 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है । एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 30 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है ।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा ।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही 15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 17 अक्टूबर । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी ।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये पति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये ।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें ।

डेंगू से बचाव हेतु प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव निरंतर जारी

रतलाम 17 अक्टूबर । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव हेतु नगर प्रत्येक झान में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव का कार्य निरंतर जारी है ।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर बताया कि शहर में बढ़ रहे डेंगू व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार प्रत्येक झान में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से नगरनिगम व मलेरिया विभाग द्वारा रूट चार्ट अनुसार सुबह 05:30 से 08:00 बजे तक व शाम को 06:00 से रात 10:00 बजे तक किया जा रहा है साथ ही प्रत्येक वार्ड में एक-एक हैण्ड स्प्रे मशीन से भी कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है ।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 17 अक्टूबर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 17 अक्टूबर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 17 अक्टूबर । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/17.10.2021/न.पा.निगम, रतलाम.